

(111)

संख्या—1324 / XIII/06/1(33)2006

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तरांचल।

कृषि एवं विपणन अनुभाग—1

देहरादून : दिनांक, 13 सितम्बर 2006

विषय— कृषि विभाग में अंतर्गत अकुशल श्रमिकों की मजदूरी की दरें।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 513/XIII/2006-1(33)06 दिनांक 5 अप्रैल, 2006 के सदर्भ में मुझे यह कहा कि जिदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में कुशल एवं अकुशल मजदूरों के लिये मजदूरी के संबंध में जो निर्देश/व्यवस्था दी गयी थी, को शासन द्वारा सम्यक् विचारादर्शता निम्नवत् संशोधित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. रु 0 73.00 प्रति दिवस मजदूरी की दरें केवल अकुशल श्रमिकों के लिये अनुमन्य होंगी। यह व्यवस्था कुशल श्रमिकों पर लागू नहीं होंगी।
2. उक्त अकुशल श्रमिकों की मजदूरी की दरे कृषि विभाग की रामस्त योजनायें/केन्द्र सहायतित/वाह्य सहायतित योजनाओं में लागू होंगी।
3. अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।
4. उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।
5. यह आदेश वित्त विभाग के अशा० सं० 414/वित्त अनुभाग—4/2006 दिनांक 11-9-2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
सचिव।

संख्या व दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मंडल, पौड़ी / कुमायू मंडल, नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
5. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मंडल, पौड़ी / देहरादून।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, गढ़वाल मंडल, पौड़ी / कुमायू मंडल, हल्द्वानी।
7. समस्त मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरांचल।
8. समस्त सहायक निदेशक, जलागम प्रबन्धन, कृषि विभाग, उत्तरांचल।
9. समस्त कृषि रक्षा अधिकारी, उत्तरांचल।
10. वित्त अनुभाग—4, उत्तरांचल शासन।
11. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा संकेत
Om Prakash

(ओम प्रकाश)
सचिव।